

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना, दिनांक- 14.7.2015

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल राशि ₹ 44,00,000/- (चावालीस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 44,00,000/- (चावालीस लाख) मात्र आवंटित किया जाता है।

2. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 एवं पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के अनुसार की जायेगी।
3. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से की जाय।
4. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।
5. आवंटित राशि से कर्मियों के सिर्फ मानदेय (वेतन संबंधित) का भुगतान किया जाएगा। किसी अन्य का भुगतान उक्त आवंटित राशि से नहीं किया जाएगा।
6. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
7. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
8. आवंटन प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
9. जिन जिलों से सामान्य प्रशासन/गृह/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का डी0सी0 विपत्र बार-बार मांग करने पर भी अप्राप्त है, उन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य मदों का आवंटन तभी दिया जाएगा जब ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध निकासी की गयी राशि का 100% सामंजन हो जाय।

विश्वासभाजन

13/7/2015
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य
स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन :-

| क्र० सं० | जिला का नाम | व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) |
|----------|-------------|--|
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | भोजपुर | |
| 2 | कैमूर(ममुआ) | 1,00,000 |
| 3 | जहानाबाद | 1,00,000 |
| 4 | अरवल | 1,00,000 |
| 5 | सीतामढी | 1,00,000 |
| 6 | बेगूसराय | 1,00,000 |
| 7 | कटिहार | 1,00,000 |
| 8 | पटना | 1,00,000 |
| 9 | बक्सर | 2,00,000 |
| 10 | रोहतास | 1,00,000 |
| 11 | नालन्दा | 1,50,000 |
| 12 | गया | 1,50,000 |
| 13 | नवादा | 2,00,000 |
| 14 | औरंगाबाद | 1,00,000 |
| 15 | मुजफ्फरपुर | 1,00,000 |
| 16 | पू०चम्पारण | 1,50,000 |
| 17 | प०चम्पारण | 1,50,000 |
| 18 | शिवहर | 1,50,000 |
| 19 | वैशाली | 1,00,000 |
| 20 | दरभंगा | 1,50,000 |
| 21 | मधुबनी | 1,00,000 |
| 22 | समस्तीपुर | 1,00,000 |
| 23 | सारण | 1,50,000 |
| 24 | सिवान | 1,00,000 |
| 25 | गोपालगंज | 1,00,000 |
| 26 | भागलपुर | 1,00,000 |
| 27 | बांका | 1,00,000 |
| 28 | मुंगेर | 1,00,000 |
| 29 | लक्खीसराय | 1,00,000 |
| 30 | शेखपुरा | 1,00,000 |
| 31 | जमुई | 1,00,000 |
| 32 | खगडिया | 1,00,000 |
| 33 | पूर्णियाँ | 1,00,000 |
| 34 | अररिया | 1,50,000 |
| 35 | किशनगंज | 1,00,000 |
| 36 | सहरसा | 1,00,000 |
| 37 | मधेपुरा | 1,00,000 |
| 38 | सुपौल | 1,00,000 |
| | कुल योग | 44,00,000 |

(चौवालीस लाख) रुपए मात्र

13/2/2015
सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना, दिनांक-

2015

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल राशि ₹ 44,00,000/- (चावालीस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 44,00,000/- (चावालीस लाख) मात्र आवंटित किया जाता है।

- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 एवं पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के अनुसार की जायेगी।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से की जाय।
- मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।
- आवंटित राशि से कर्मियों के सिर्फ मानदेय (वेतन संबंधित) का भुगतान किया जाएगा। किसी अन्य का भुगतान उक्त आवंटित राशि से नहीं किया जाएगा।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- आवंटन प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- जिन जिलों से सामान्य प्रशासन/गृह/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का डी0सी0 विपत्र बार-बार मांग करने पर भी अप्राप्त है, उन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य मदों का आवंटन तभी दिया जाएगा जब ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध निकासी की गयी राशि का 100% सामंजन हो जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

14.7.2015

ज्ञापांक-5/बजट 1-08/2015 सा0-.....26 / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव